राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2309/2016

अविनेश मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर मण्डल भरतपुर **–प्रत्यर्थी**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2016
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि आदेश दिनांक 05.04.2013 की पालना में वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ उसके कनिष्ठ के समान दिए जावे एवं शेष राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

1. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.04.2005 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दो वर्ष के परिवीक्षा पर वेतन श्रृंखला 4500–7000 में की गई और अपीलार्थी ने दिनांक 25.04.2005 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गंगोरा में कार्यग्रहण किया। दो वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर दिनांक 25.04.2007 से आदेश दिनांक 22.02.2012 के द्वारा स्थाई घोषित किया गया। अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी अध्यापक की सीधी भर्ती में सफल होने पर उसे आदेश दिनांक 02.01.2013 के द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा काल पर रखा गया और वेतन तृतीय श्रेणी अध्यापक का दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 07.01.2013 को कार्यभार ग्रहण किया और परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 25.05.2015 के द्वारा दिनांक 05.01.2015 से स्थाई किया गया। डीपीसी की अभिशंषानुसार वरिष्ठ अध्यापक के पद पर रिक्ति वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था, क्योंकि उक्त दिनांक को वह स्थाई रूप से तृतीय श्रेणी अध्यापक था। आदेश दिनांक 05.04.2013 में अपीलार्थी को

वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति में चयन किया गया और चयन वर्ष 2011–12 दर्शाया गया। जबकि अपीलार्थी को उक्त आदेश नहीं दिया गया और न ही जानकारी दी गई, उसे विभाग द्वारा पदोन्नत भी किया लेकिन उक्त आदेश अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिसके कारण अपीलार्थी को आर्थिक हानि हुई और उससे कनिष्ठ कर्मचारी उससे अधिक वेतन प्राप्त करने लगे। अपीलार्थी अपने कनिष्ठ के समान चयनित वर्ष 2011–12 में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयनित होने के आधार पर वेतनमान 9300–34800 में वेतन स्थिरीकरण करवाया जाकर वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि आदेश दिनांक 05.04.2013 की पालना में वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ उसके कनिष्ठ के समान दिए जावे एवं शेष राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर पूरजोर विरोध करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर सीधी भर्ती के तहत् कार्यग्रहण किया गया अपीलार्थी अपने कार्यग्रहण के अनुसार ही मासिक वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के अनुसार नियमानुसार बैठक आयोजित करने के उपरान्त ही आदेश दिनांक 05.04.2013 जारी किया गया है। अपीलार्थी के स्वयं के द्वारा अपने परिलाभों के प्रति लापरवाही की गई है। जिस प्रकार सेवा में भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वेब साईट आदि पर प्रकाशित किया जाता है और यदि कोई अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता है, तो यह माना जाता है कि वह उक्त सेवा में कार्यग्रहण का इच्छुक नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.04.2005 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दो वर्ष के परिवीक्षा पर वेतन श्रृंखला 4500–7000 में की गई और अपीलार्थी ने दिनांक 25.04.2005 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गंगोरा में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी का द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के तहत चयन हुआ तथा अपीलार्थी ने दिनांक 07.01.2013 को कार्यभार ग्रहण किया और परिवीक्षाकाल पूर्ण उपरान्त उसे दिनांक 05.01.2015 से स्थाई किया गया। वर्ष 2008–09 से 2011–12

की रिक्तियों के विरूद्ध तृतीय श्रेणी अध्यापकों की डीपीसी की अभिशंषानुसार वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किये गये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 05.04.2013 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई, परन्तु अपीलार्थी की जानकारी नहीं होने के कारण उससे कनिष्ठ कार्मिकों को अधिक वेतन मिलता रहा। जहां तक अपीलार्थी को भी रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध डीपीसी के तहत् वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत उपरान्त उक्त लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी ने सीधी भर्ती के तहत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 07.01.2013 को कार्यग्रहण किया और दो वर्ष का परिवीक्षाकाल दिनांक 05.01.2015 को पूर्ण किया। परिवीक्षाकाल के दौरान दो वर्ष तक अपीलार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद का वेतन दिया गया, जबकि आदेश दिनांक 05.04.2013 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी परिवीक्षाकाल के दौरान रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर डीपीसी द्वारा पदोन्नत किए जाने फलस्वरूप जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त लाभ दिया गया है उसी तिथि से अपीलार्थी भी पे–प्रोटेक्शन के रूप में लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते है कि रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध डीपीसी द्वारा पदोन्नत किए गए जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को वेतन आदि का लाभ किया गया है उसी तिथि से अपीलार्थी को सीधी भर्ती के तहत् नवीन नियुक्ति दिनांक 02.01.2013 वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयनोपरान्त परिवीक्षाकाल के दौरान पे–प्रोटेक्शन के रूप में दिए गए वेतन में संशोधन कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य